FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0017 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 22/11/2023 18:51 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Wednesday Date from (दिनांक से): 22/11/2023 Date To (दिनांक तक): 22/11/2023

Time Period (समय अवधि): Pahar 5 Time From (समय से): 13:50 hrs Time To (समय तक): 13:50 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/11/2023 Time (समय): 18:00 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 022 Date and Time (दिनांक और समय): 22/11/2023 18:33 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 35 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): थाना भ्र0नि0ब्यूरो करनाल,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

Anti Corruption Bureau ★ Rohtak Range Rohtak ★ Police Station

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अमित

(b) Father's Name (पिताका नाम): स्व. उमेंद

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1983 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गाँव खानंपूर कंला, GOHANA SADAR, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गाँव खानंपूर कंला, GOHANA SADAR, SONIPAT, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9813369403

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	SI रामनिवास			1. थाना सदर गोहाना, SONIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak Police Station

सेवा में,
इसपैक्टर विजिलैस
करनाल।
श्रीमान जी,
निवेदन है कि मै अमित पुत्र स्व. उमेंद वासी गाँव खानंपूर कंला थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत का रहने वाला हुं यह कि सुधीर पुत्र सुरेश वासी गाँव खानंपुर कलां जिला सोनीपत जो मेरा पडोसी है ने मेरे को मिलकर बताया कि गाँव

Scanned with OKEN Scanner

मे दीपक पुत्र कृष्ण के साथ राहुल, मोनू, अनिल, दीपक, अमन, मोहीत, इत्यादी का लडाई झगडा हो गया था दिपक ने इनके खिलाफ मुकदमा न. 318 दिनांक 06.10.2023 धारा 148,149,323,308,452,506 आई.पी.सी. थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत दर्ज करवाया हुआ है जिसमें आरोपियो की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और मुकदमा का तफतीशी अधिकारी SI रामनिवास उसको इस मुकदमा में झुठां फंसाना चाहाता है और गिरफ्तार करना चाहाता है जबकि वह लडाई झगडा मे शामिल नही था। दिपक पुत्र कृष्ण ने भी उसका नाम एफ. आई. आर में नही लिखवाया है यदि वह रामनिवास थानेदार को मिलेगा तो वह सुधीर को बिना वजह के गिरफतार कर लेगा।

सुधीर के कहने पर मैं दिनांक 20.11.2023 को दोपहर करीब एक बजे थाना गोहाना में जाकर SI रामनिवास से मिला और मैने उसको कहां कि सुधीर पुत्र सुरेश वासी खानपुर कलां उस दिन लडाई झगडा में शामिल नही था उसका नाम मुकदमा से निकाल दे जिस पर रामनिवास ने मेरे को कहा कि तुमने आने में देरी की है अब उसका नाम नही निकाल सकता उसको पेश करके उसका केश हल्का कर दूगा और उसका रिमाण्ड नही लूगा।

मैने पूछा कि कया करना होगा तो रामनिवास SI ने इस काम के बाबत चालीस हजार रुपये रिश्वत मांगने पर मैने उसको दस हजार रुपये उसी दिन दे दिऐ और उसको कहा कि सुधीर को ले आउगा और बाकी तीस हजार रुपये दे जाउंगा फिर मैने ये सारी बात सुधीर को बताई जिसने मेरे को कहा कि सचिन पुत्र सुरेश को भी रामनिवास SI इसी मुकदमा में गिरफ्तार करना चाहाता है उसकी भी बात कर लो जिस बारे में सचिन के भाई संदीप ने भी मेरे को बात करने बारे कहा फिर मैं दिनांक 21.11.2023 को शाम 4 बजे के करीब थाना में जाकर रामनिवास से मिला और सचिन पुत्र सुरेश का काम करने बारे बात की तो रामनिवास SI ने सचिन का रिमाण्ड ना लेने व केश हल्का करने के बदले मेरे से पचास हजार रुपये रिश्वत की मांग की।

जिस पर मैने SI रामनिवास को कहा कि ज्यादा है, तो उसने सुधीर व संचिन के काम के बाबत इक्कठे 60000 हजार रुपये रिश्वत की मांग की और कहा कि तुम दोनो को ले आना में इनके कागज तयार कर दूंगा। मैं SI रामनिवास थाना सदर गोहाना को 60000 RS रिश्वत नही देना चाहता हुँ उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कि जावे, मैने रिश्वत मागने बारे रामनिवास की रिकार्डिंग की हुई है आपको बाद में पेश कर दूंगा। हस्ता हिन्दी अमित अमित पुत्र स्व0 उमेद वासी गांव खानपूर कला थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत 9813369403

कार्यवाही पुलिस- आज मन निरीक्षक हाजिर थाना हुँ कि अमित पुत्र स्व0 उमेद वासी गांव खानपुर कलां थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत उपरोक्त ने हाजिर थाना आकर मुलाकी होकर एक लिखित दरखास्त बर खिलाफ उप0नि0 रामनिवास थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत बाबत मांगने रिश्वत मन निरीक्षक को पेश की व दरखास्त के साथ रिश्वत में दी जाने वाली राशि साठ हजार रुपये भी पेश किए जो हालात दरखास्त बारे उच्च अधिकारी को अवगत करवाया गया व रेडिंग कार्यवाही हेतू राजपत्रित गवाह नियुक्त करने बारे आग्रह किया जिस पर उच्च अधिकारी ने विचार विमर्श करने के बाद रेडिंग कार्यवाही हेतू जिला पानीपत से राजत्रित गवाह नियुक्त करने बारे आदेश फरमाये जो शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई रिश्वत राशि साठ हजार रुपये को फर्द सूचि करंसी नोट नम्बरी द्वारा कब्जा पुलिस में लिया फर्द सूचि करंसी नोट नम्बरी तैयार की जिसपर शिकायतकर्ता ने हस्ताक्षर किए। नि0 दीपक कुमार न0-875/करनाल, स0उ0नि0 निर्मल सिंह न0 961/करनाल , स0उ0नि0 अरविन्द कुमार न0 1274/करनाल, ई0मु0सि0 बलदेव सिंह न0 624/अम्बाला, सि0 प्रवीण कुमार न0 469/करनाल व शिकायतकर्ता को शामिल रेडिंग पार्टी करके रेडिंग पार्टी तैयार की गई जो शिकायत उपरोक्त के मजबून से अपराध जेर धारा 7 पी0सी0एक्ट 1988 का घटित होना पाया गया जिस पर तहरीर अंकित बराए कराने दर्ज अभियोंग तहरीर ई0मु0सि0 बलकार न0 25/पानीपत के हवाले की गई। बाद दर्ज अभियोंग संख्या अभियोंग से सूचित किया जावे तथा स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट की सेवा में भिजवाई जावे। जो मन निरीक्षक मय रेडिंग पार्टी बा सवारी गाडी सरकारी न0 HR03GV-1916 चालक ई0मु0सि0 बलदेव 624/अम्बाला मय प्राईवेट कार के बराये रेड कार्यवाही मौका का रवाना होता हुँ। तफतीश बैग.लैपटाप,प्रिन्टर हमरा है। राजपत्रित गवाह को रास्ते से हमरा लिया जावेगा। हस्ता अंग्रेजी SACHIN निरीक्षक (सचिन) थाना भ्र0नि0ब्यू0 करनाल मण्डल करनाल दिनांक 22.11.2023 AT 1-50 PM

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर हजा के थाना में प्राप्त होने पर मु0 न0 17 दिनाँक 22.11.2023 U/S 7 P.C.Act -1988 थाना एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्पयुटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त ई0मु0सि0 बलकार न0 25/पानीपत की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक फतेह सिंह की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है। नोट थाना हजा में निरीक्षक (सचिन) थाना भ्र0नि0ब्यू0 करनाल मण्डल करनाल की CCTNS आई0डी0 नही होने के कारण अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक भगत सिंह को दर्शाया गया है। जो इस मुकदमा हजा का अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक (सचिन) थाना भ्र0नि0ब्यू0 करनाल मण्डल करनाल है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): सचिन Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Anti Corruption Bureau ★ Rohtak Range Rohtak ★ Police Station

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): फतेह सिंह

Rank (पद): निरीक्षक

No. (सं.): 84/SGM

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Scanned with OKEN Scanner